न्यायालय द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण सं. राज0/ निर्णय दिनांक :-24.04.2017

Copy

अनवान

1. ...... पिता चतरू जी जाति रेगर, निवासी देवगढ़
2. ...... पिता चतरू जी जाति रेगर, निवासी देवगढ़
3. ...... पिता चतरू जी जाति रेगर, निवासी देवगढ़
4. ...... पिता चतरू जी जाति रेगर, निवासी देवगढ़
5. ...... लाल पित चतरू जी जाति रेगर, निवासी देवगढ़

------प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ......लाल पिता होजी रेगर निवासी देवगढ़
2. श्री ......लाल पिता रूपाजी रेगर निवासी देवगढ़
3. श्री पुरूषोतम पिता छितरमल जी जोशी निवासी देवगढ
4. श्री कल्याण सिंह राजपूत (बजरंग बैट्री) निवासी देवगढ़

-----प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :- श्री राजेश समदानी वकील प्रार्थीगण

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का ...... तह0 देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि स्थित है जिसके खाता नं0 1228 खसरा नं0 ...... रकबा 11 बीस्वा, खसरा नं. 2426 रकबा 1 बीघा खसरा नं. 2429 रकबा 6 बीस्वा खसरा नं. ...... रकबा 1 बीघा खसरा नं. 2432 रकबा 5 बीस्वा खसरा नं. 2437 रकबा 5 बीस्वा खसरा नं. 2438 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा खसरा नं. 2442 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बीस्वा ...... एवं खाता संख्या 1227 खसरा नं. 2427 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा खसरा नं. 2440 रकबा 3 बीस्वा खसरा नं. 2441 रकबा 1 बीघा 18 बीस्वा कुला किता 3 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा एवं खाता संख्या ...4 आराजी नं. 2473 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा 10 बिस्वांसी जिसके एक मात्र मालिक व काबिज प्रार्थीगण स्वंय है। मौके पर उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसके पडौसी विपक्षी संख्या 1 से 4 हमेशा फसल बुवाई व कटाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है। भूमि के मौके पर सीमा चिन्ह नही है अर्थात् पत्थरगढ़ी नही होने से सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। भूमि की पत्थरगढी नही होने से पडौसी जो पक्षकार है वे हमेशा सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है यदि उक्त भूमि की बाद नपती

बादनपती हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। बावजूद सूचना के विपक्षीगण अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्न गत भूमि का प्रार्थीगण खातेदार है। और खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है। मौके पर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी है हर समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है। यदि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की बादनपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो मौके पर जो सीमा सम्बन्धी विवाद है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

मैंने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का [illegible] देवगढ़ की नकल जमाबन्दी समवत 2070–2073 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि का खातेदार है। खातेदार अपने खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करवा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का [illegible] में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि स्थित है जिसके खाता नं0 1228 खसरा नं0 [illegible] खसरा नं. 2426 रकबा 1 बीघा खसरा नं. 2429 रकबा 6 बीस्वा खसरा नं. [illegible] खसरा नं. 2432 रकबा 5 बीस्वा खसरा नं. 2437 रकबा 5 बीस्वा खसरा नं. 2438 [illegible] खसरा नं. 2442 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बीस्वा है। एवं खाता संख्या 1227 खसरा नं. 2427 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा खसरा नं. 2440 रकबा 3 बीस्वा [illegible] 1 बीघा 18 बीस्वा कुला किता 3 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा एवं खाता संख्या [illegible] रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा 10 विस्वांसी भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कर [illegible] को सूचित कर मौके पर पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2017 को खुले न्यायालय लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द